(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 2996-एक/2015 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 16-7-2015- पारित व्दारा - अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर - प्रकरण क्रमांक 169/2010-11 अपील

ईश्वरी प्रसाद साहू पुत्र गोकल प्रसाद साहू
ग्राम विछिया तहसील शहपुरा जिला डिन्डोरी -----आवेदक

विरूद्ध

सुरेश साहू पुत्र गोकलप्रसाद साहू
ग्राम विछिया तहसील शहपुरा जिला डिन्डोरी ----अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री धीरज अग्रवाल)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री सुनील वगडैया)

आ दे श

(आज दिनांक 5-12-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 169/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-7-15 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्1003.1005
व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम विछिया की भूमि सर्वे क्रमांक 238, 412, 444 कुल किता 3 कुल रकबा 1.01 हैक्टर के भूमिस्वामी गोकल प्रसाद थे, जिनकी दिनांक 17-4-2010 को मृत्यु हो गई। गोकल प्रसाद की मृत्यु उपरांत दूसरे दिन दिनांक 18-4-10 को आवेदक ने मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाये बिना तहसील न्यायालय में बसीयत के आधार

पर नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार ने मात्र 19 दिन में आदेश दिनांक 7-5-10 पारित करके बसीयत के आधार पर आवेदक का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी शहपुरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी शहपुरा ने प्रकरण क्रमांक 48 अ-6/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-1-11 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 169/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-7-15 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालाय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार शहपुरा ने आवेदक का बसीयत के आधार पर दिनांक 18-4-2010 को नामांत्रण आवेदन आने के उपरांत यह विचार नहीं किया कि जब आवेदक के पिता का दिनांक 17-4-2010 को स्वर्गवास हुआ है , स्वर्गवास के दूसरे दिन मरघट से पिता की अस्थियॉ विजर्सजन के बजाय वह बसीयत के आधार पर नामान्तरण कराने तहसील न्यायालय में आ गया - क्या आवेदक किसी प्रकार का फरेव तो न्यायालय के साथ नहीं कर रहा है ? तहसीलदार ने नामान्तरण कार्यवाही के पूर्व हलका पटवारी से मृतक के वारिसान के बारे में जानकारी नहीं ली है कि मृतक के अन्य कितने वारिसान हैं, अपितु दूसरी पेशी पर आवेदक के गवाह बुद्धूलाल, ईश्वरी प्रसाद स्वयं् व सामसहाय के कथन लेकर दिनांक 7-5-10 को अर्थात आवेदन दिनांक 18-4-10 के 19 वे दिन आवेदन कर्ता का नामान्तरण कर दिया। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,

जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 169/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-7-15 के पद 5 में विवेचना की है कि बसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण का आवेदन उत्तरवादी ने पिता की मृत्यु के दूसरे दिन ही प्रस्तुत कर दिया था और तहसीलदार ने अन्य संतानों को व्यक्तिगत सूचना दिये बिना मात्र 12 दिन का इस्तहार जारी करके नामान्तरण आदेश पारित किया है। ऐसा आदेश म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 के नामान्तरण के प्रावधनों के अनुरूप होने से मान्य नहीं है और उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी शहपुरा के आदेश दिनांक 13-1-11 एंव तहसीलदार शहपुरा के आदेश दिनांक 7-5-10 को निरस्त करते हुये भूमि पूर्व की स्थिति में अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 169/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-7-15 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर